

प्राचार्य-सह-अधीक्षक का कार्यालय
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल
मुजफ्फरपुर

कार्यालय आदेश

उपाधीक्षक,
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल,
मुजफ्फरपुर ।

विदित हो कि विगत दो-तीन सप्ताह में अस्पतालीय कार्यालय के कार्य समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि आवश्यकतानुसार वाहन में जो ईंधन (Fuel) की आपूर्ति की जाती है, उसके एवज में नकद (Cash) राशि का भुगतान किया जा रहा है, जो सरकारी नियमानुकूल नहीं है तथा इससे अनियमितता की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है ।

अतएव ईंधन (Fuel) की आपूर्ति के एवज में पूर्व से चल रहे नकद (Cash) राशि के भुगतान पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाता है तथा निदेश दिया जाता है कि ईंधन (Fuel) की आपूर्ति के एवज में कूपन/अन्य (नकद भुगतान को छोड़कर) संबंधी कार्रवाई प्रारम्भ की जाए ।




प्राचार्य-सह-अधीक्षक

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल
मुजफ्फरपुर

पत्रांक - 58/21

दिनांक - 12/01/21

1. वाहन पदाधिकारी, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
2. नोडल पदाधिकारी, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
3. प्रभारी प्राध्यापक प्रशासन/Estate Officer, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।
4. प्रधान लिपिक/कार्यालय अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।
5. अस्पताल प्रबंधक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।
6. सभी चालक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।
7. कॉलेज वेबसाइट ।



प्राचार्य-सह-अधीक्षक

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल
मुजफ्फरपुर